ग्राम स्वरोजगार योजना में संलग्न ग्रामीण महिलाओं के व्यवहारों के अध्ययन

[बालाघाट जिले के विशेष संदर्भ में]

शोधपत्र-अर्थशास्त्र

*ममता पवार

भारतीय पित सतात्मक समाज में महिलाओं के प्रकृति प्रदत्त गुणों के अधिकतम उपयोग हेतू उस समाज की मुख्य धारा से जोडे जाने की आवश्यकता है यहां पहुचने का रास्ता उसकी आर्थिक सशक्कतता और सामान्य जागरूकता जैसे दरवाजे से होकर गुजरता है। अस्सी से नब्बे के दशक में गर्भस्य शिशु परीक्षण पर प्रतिबंध दहेज उन्मूलन और यौन उत्पीड़न को रोकने जैसे स्त्री संरक्षण कारणों पर मोहर लगाने से मुख्यतः नब्बे के बाद के दशक में महिलाओं के नेतृतव समता में आमूल चूल परिवर्तन नजर आती है । ठीक इसी समय आर्थिक स्वालम्बन ने समाज में महिलाओं के दर्जे को उठाया। विश्व के समस्त देशों में एक भारतीय महिलायें ही समानान्तर अर्थव्यवस्था की सवांहक है, क्योंकि वे घरेलू खर्च में छोटी छोटी बचत करके किसी महत्वपूर्ण और आकस्मिक घरेलू मसले में उसका उपयोग करती है विकास के मॉडल में महिलाओं के इस अवैतनिक श्रम की भी मानवीय एवं भौतिक लागत को शामिल करना जरूरी है । जो इकाई के रूप में काम करने परिवारों के खर्च को कम करने में अपना योगदान देती है।

ग्रामीण गतिविधियों को एक निश्चित रूप देने के लिये ग्राम स्वरोजगार योजना से स्व सहायता समूह की बात 1 अप्रैल 1999 से स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना के प्रारंभ होने के पश्चात स्वसहायता समूहों के गठन का संकल्प लेते हुए महिलाओं के स्वरोजगार संगठन सेवा अहमदाबाद में भी इस तरह की अवधारणा का प्रयोग किया गया है । इन सभी प्रयासों का परिणाम यह रहा है कि लोंगों को यह विश्वास हो गया है । इसी संकल्प को लेते हुये जिला पंचायत बालाघाट ने सुदूर ग्रामीण अंचलों में योजना का व्यापक प्रचार करते हुये । शासन के विभिन्न विभागों का सहयोग प्राप्त कर ग्राम स्तर पर समूह का गठन के शिविरों का विशेष प्रावधान करते हुये विशेष क्या यह योजना असंगठित क्षेत्र मे निर्धन ग्रामीण/ग्रामीण महिलाओं के लिए हितकर साबित हो रही है ? विशेष कर ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर उन्हें सामाजिक सम्मान मिलेगा व उनके आत्मविश्वास को बढायेगा और यह बढा हुआ आत्मविश्वास ही समाज को कुशल महिला नेतृत्व दे पायेगी ? इस परिकल्पना का परिमापन और उक्त प्रश्नों कि पड़ताल ही शोध अध्ययन की मुख्य विषय वस्तु है ।

अध्ययन क्षेत्र– बालाघाट जिला म.प्र. राज्य के दक्षिण में स्थित उड़ते पक्षी के आकार में परिलक्षित हुआ स्थित है । संपूर्ण जिला पर्वत शिखाओं से घिरा है । जिले का कुल क्षेत्रफल 9229 वर्ग किलो मीटर है । बालाघाट जिला म. प्र. के दक्षिण भाग में 21.19 से 22.24 अक्षाश तथा 79.39 से 01.3 पर्व देशान्तर के मध्य स्थित है । यह समुद्र सतह से 303.00 वर्ग मीटर से अधिक उंचाई पर बसा हुआ है । कुलग्राम 1391 वन ग्राम 89 है ।

आंकड़ों के स्त्रोत– आकड़ों के संकलन के स्त्रोत के रूप में प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोत का उपयोग किया गया है।

अध्ययन के उददेश्य– 1. अध्ययन क्षेत्र की महिलाओं की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना। 2. अध्ययन क्षेत्र की महिलाओं की आर्थिक सशक्कतता से उनके व्यवहारों एवं क्षमताओं में परिलक्षित परिवर्तनों की दिशा का अवलोकन करना।

शोध प्रविधि–अध्ययन के समग्र के रूप में बालाघाट के दस विकासखंड के गांवों का चयन निर्देशन पद्धती के द्वारा किया गया।

अध्ययन ईकाई का चयन – अध्ययन की इकाई के रूप में ग्राम स्वरोजगार योजना में स्वसहायता समूह की सक्रिय ग्रामीण महिलाओं को ग्राम पंचायतों में सम्मिलित 10 गांवों की महिलाओं का चयन किया गया है । तत्पश्चात उस ग्राम के ग्राम स्वरोजगार योजना की स्वसहायता समूह की सभी सक्रिय महिलाओं के नामों की चिट डालकर पूर्व

*शोधार्थी अर्थशास्त्र विभाग, शास. कन्या.पी.जी. महाविद्यालय, मोती तबेला, इंदौर

ग्राम संपूर्ण निर्धारित निदर्शन संख्या के अनुपात में चिट उठाकर ली गई । इस प्रकार कुल 100 सक्रिय सदस्यों का चयन दैव निदर्शन की लाटरी पद्धति द्वारा किया गया है।

अध्ययन के उपकरण—अध्ययन में मुख्यतः प्रत्यक्ष साक्षात्कार समूह चर्चा, अवलोकन पद्धति एवं प्रश्नावली प्रणाली आदि सर्वेक्षण उपकरणों का प्रयोग किया गया है।

विश्लेषण सारांश—ग्राम स्वरोजगार एवं स्वसहायता समूहों में संलग्न होने से पूर्ण ग्रामीण महिलाए अपने परंपरांगत कार्य तथा घरेलू कार्य वनोपज संग्रहण कृषि मजदूरी आदि करती है। 83.89 प्रतिशत उत्तददाताओं के अनुसार वर्तमान में समूह की गतिविधीयों में संलग्न होने के पश्चात भी घरेलू कार्यों एवं आर्थिक श्रम विभाजन में कोई कभी कमी नहीं आई है । 77.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार यह तथ्य उभरकर सामने आया कि ग्रामीण स्त्रियां पुरुष के साथ हर कार्य में जैसे मकान निर्माण कृषि पशुपालन मजदूरी वनोपज संग्रहण में सहयोग के साथ–साथ घर की साफ–सफाई बच्चों की देखभाल कपड़ों की सफाई भोजन बनाने, पानी भरने का कार्य सम्पन्न करती है । फिर भी उनके कार्यो को समाज में पुरुषों की अपेक्षा कम महत्व दिया जाता है । यहीं कारण है कि महिलाओं की उत्पादकता और श्रम के मूल्य घर और बाहर दोनों जगह को नहीं आका गया। 94 प्रतिशत ग्रामीण महिलाए अब किसी भी पारिवारिक या व्यक्तिगत कार्यो के लिए साहुकार से ऋण लेने के बजाय स्वसहायता समूहों से ऋण प्राप्त करने लगी है । 80 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक कार्यो में उत्पादन करने के बावजूद प्राप्त धन को अपनी इच्छा से खर्च करने की स्वतंत्रता नहीं है। पति की आज्ञा लेकर, पति या परिवार के मुखिया पर अपनी आवश्यकताओं के लिये निर्भर रहती है । यह बात इस तथ्य से साम्यता रखती हुई प्रतीत होती है कि महिलाओं सारी दुनिया में किए गये काम के घंटो में 0.58 प्रतिशत से अधिक योगदान देती है। जबकि उन्हें दुनिया की कुल आय का सिर्फ 12 प्रतिशत मिलता है और वे 1.5 प्रतिशत सम्पति की मालिक है ।

ग्राम स्वरोजगार योजना एवं स्वसहायता समूह में संलग्न 63 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं अब बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की मांग को समझकर कृषि भूमि में ज्वार, कोदो, कुटकी, बाजरा मूंगउडद के स्थान पर चना, गेंहू, धान, सोयाबीन या अन्य नकदी फसलों को उगाने के लिए प्रेरित हो रही है । जिसमें उनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति से पहले से बेहत्तर हुई है । 80 प्रतिशत ग्रामिण महिलाओं में समूह गतिविधियों में सलग्न होने के पश्चात रोजमर्रा लेन देन हिसाब किताब में होनेवाली कठिनाईयों से शिक्षा के प्रति जागरूकता व्याप्त होने लगी है । अब वे अपने लड़की के साथ साथ लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान देने लगी। यद्यपि निर्धनता, जीवन यापन के लिये सभी पारिवारिक सदस्यों का अन्यंत्र जाना, शैक्षणिक स्थल का निवास स्थान से दूर होना अभी इनके बच्चों की अल्प शिक्षा में प्रभाव डालने वाले प्रमुख कारक है। बच्चों के पालन पोषण में कार्य स्थल का पर्यावरण की अब उनके लिये मायने रखने लगा। पहले वे मजदूरी पर जाते समय बच्चों को भी साथ ले जाती थी।

निष्कर्ष—ग्राम स्वरोजगार योजना में स्वसहायता समूहों के गठन ओर क्रियान्वयन से अगठित क्षेत्रों में निर्धन ग्रामीण महिलाओं के लिए हितकर साबित हो रहे है । कारण यह की भूमिहीन ओर गरीब किसान परिवार की महिलाओं ने अपने परिवारों की आजीविका और कल्याण के लिये अपने सामान्य पारिवारिक कर्तव्य और पारिवारिक आयों में योगदान के जरिए बहुमूल्य भूमिका अदा करती है और यह दृढ़तापूर्वक कहा जा सकता है कि भविष्य में इन्हें संगठित कर उनकी बचत आदतों और क्षमताओं का भरपूर उपयोग करने एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी जा सकती है ।

सुझाव — ग्रामीण स्वरोजगार योजना एवं स्वसहायता समूह में संलग्न ग्रामीण महिलाओं की दिशा ओर दशा में सकारात्मक बदलाव लाना है तो निश्चित ही नियम सुझावों पर विचार करना होगा। 1.ग्रामीण जीवन मुख्यतः वनोपज संग्रहण कृषि मजदूरी और पशुपालन पर निर्भर है । घरेलू रोजमर्रा की आवश्यकता वस्तुओं को क्रय करने का कार्य महिलाएं करती है । स्वसहायता समूह में संलग्न होगें के पश्चात उनकी गतिविधियों में सक्रियता लाने एवं इनका शोषण को पूर्णतः समाप्त करने के लिए ग्रामीण के शिक्षण में वृद्धि आवश्यक है । 2. ग्रामीण महिलाओं को ग्रह उद्योग व विभिन्न हस्तशिल्प तैयार करना चाहिए। साथ ही स्वसहायता समूहों के माध्यम से निर्मित उत्पादों की बिक्री हेतू उन्हें बाजार उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि हो सके। 3. ग्रामीण स्त्रियों के शिक्षण स्वास्थ्य आर्थिक उन्नति हेतु विविध प्रशिक्षण वित्तीय सहायता व विकास के क्षेत्र में उन्हें आगे लाने के लिये सर्वप्रथम सवसहायता समूहों की संख्या में वृद्धि और उनकी करबद्धता के प्रयास होने चाहिए। महिलाओं के लिए अधिक से अधिक ऐसे अवसर पैदा किए जाने चाहिए उन्हे उत्पादन प्रकिया और बाजार, अर्थव्यवस्था में लाए, इनके लिए विकास प्रक्रिया में पुरुष के बराबर में ही हिस्सेदारी कर सकेगी।

ग्राम स्वरोजगार योजना और स्वसहायता समूह द्वारा लाभान्वित संगठन

विकासखंड का नाम	गठित स्वसहायता समूह	प्रथम ग्रेडिंग	द्वितीय ग्रेडिंग	रिवाल्विग फंड	लाभान्वित समूह गठन
बालाघाट	520	146	58	103	34
वारासिवनी	404	78	39	77	28
लालबर्रा	480	62	36	53	38
खैरलांजी	395	210	44	108	20
कटंगी	387	103	47	84	34
किरनापुर	482	150	37	88	29
लांजी	577	63	34	62	28
बैहर	325	54	26	59	17
बिरसा	452	84	40	38	32
परसवाड़ा	517	90	24	43	22
योग	**4539**	**1040**	**385**	**710**	**278**

स्त्रोत जिला पंचायत बालाघाट

स्व–सहायता समूह के सदस्यों का प्रशिक्षण

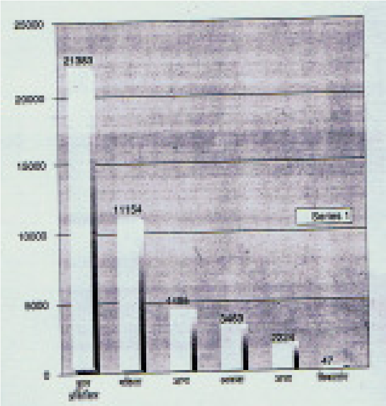

स्त्रोत जिला पंचायत बालाघाट

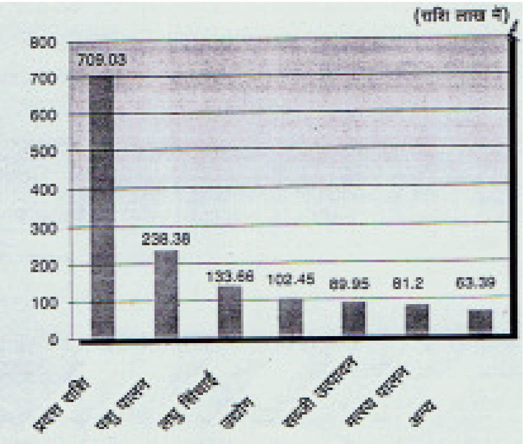

स्त्रोत जिला पंचायत बालाघाट

लाभान्वित समूह की राशि

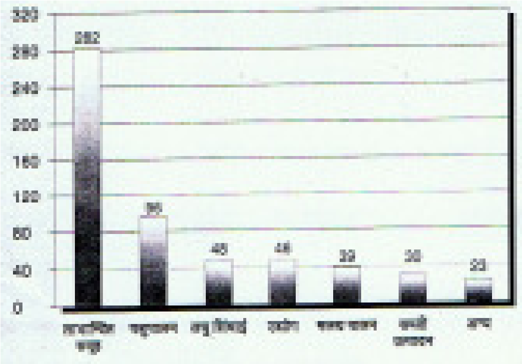

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. स्त्रियों की पराधीनता – राजकमल प्रकाशन पृष्ठ क. 17 (2002)
2. उधारी करण महिलाओं पर प्रभाव हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली पृष्ठ क. 224,225 (2001)
3. जिला पंचायत कार्यालय बालाघाट ।
4. जिला सांख्यीकीय कार्यालय बालाघाट ।
5. कुरूक्षेत्र योजना पत्रिका (2008)।